बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

09/02/18

पत्र सं0–निग/सारा–6 (था0का0)–104/10 1120(S) पटना, दिनांक :– ~~08~~

प्रेषक,

रजनीश कुमार
उप सचिव (निगरानी)।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

विषय :– **श्री शैलेश मिश्र एवं श्री अरविन्द प्रसाद दोनों तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम सम्प्रति : कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या क्रमशः 30/13 एवं 40/13 के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय जाँच आयुक्त के ज्ञापांक–123 दिनांक–05.02.18 एवं ज्ञापांक–122 दिनांक–05.02.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से विभागीय जाँच आयुक्त, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि श्री शैलेश मिश्र एवं श्री अरविन्द प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही की सुनवाई की तिथि 05.02.18 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जो खेदजनक है। अतः अंतिम मौका के रूप में इसकी सुनवाई दिनांक–22.02.18 को निर्धारित की गयी है।

उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत दोनों मामले में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अपर नगर आयुक्त, स्थापना, पटना, नगर निगम, पटना है।

अतः विभागीय जाँच आयुक्त के प्रासंगिक ज्ञापांक की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि विषयांकित मामले में निर्धारित अगली सुनवाई दिनांक–22.02.18 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु निदेशित करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

1528
09/02/18

विश्वासभाजन,

08/02/18

(रजनीश कुमार)

08/02/18

E/Nigrani Section-2011-12/Rakesh/Rakesh letter-2014

IN THE QUASI-JUDICIAL PROCEEDING BEFORE COMMISSIONER, DEPARTMENTAL ENQUIRY

General Administration Department
Government of Bihar

श्री शैलेश मिश्र, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम सम्प्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या : 30/13 के मामले में

विभागीय जांच आयुक्त डॉ. सुभाष शर्मा द्वारा पारित आदेश

05.02.18 बिहार सरकार (प्रशासी विभाग : पथ निर्माण विभाग) की तरफ से

(i)	प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी	:	श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अपर नगर आयुक्त (स्था.), पटना नगर निगम, पटना, अनुपस्थित।
(ii)	प्रशासी विभाग/प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी द्वारा पिछली तिथि के बाद से अद्यतन प्रस्तुत कागजात	:	शून्य।

बचाव पक्ष की तरफ से

(iii)	आरोपित पदाधिकारी	:	श्री शैलेश मिश्र, कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ, उपस्थित।
(iv)	बचाव पक्ष द्वारा पिछली तिथि के बाद से अद्यतन प्रस्तुत कागजात	:	शून्य।

प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी अनुपस्थित। पूर्व में 21.9.17 एवं 19.12.17 को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह को निदेश दिया गया था कि आरोप संख्या–3 और 4 अस्पष्ट हैं, विभाग उसे स्पष्ट करे। इस संबंध में प्रशासी विभाग को पूर्व में पत्र भी लिखा गया था, किंतु न तो प्रशासी विभाग ने इसे स्पष्ट किया और न प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी ही उपस्थित हुए, जो खेदजनक है। अतः अंतिम मौका दिनांक : 22.02.18 को 11.30 बजे दिया जाता है।

ह./–(डॉ. सुभाष शर्मा)
05.02.18

विभागीय जांच आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक : वि.का.सं. : 30/13 : 123 : सी.डी.ई. दिनांक : 05 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि :
1. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना,
2. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना,
3. श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अपर नगर आयुक्त (स्थापना), पटना नगर निगम, पटना एवं
4. श्री शैलेश मिश्र, कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, पूर्णियाँ, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित **(निबंधित डाक से)**।

(बसंत राम)
प्रधान आप्त सचिव

RCD - Sailesh Mishra

IN THE QUASI-JUDICIAL PROCEEDING BEFORE COMMISSIONER, DEPARTMENTAL ENQUIRY
General Administration Department
Government of Bihar

श्री अरविंद प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम, संप्रति निलंबित, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या : 40/13 के मामले में

विभागीय जाँच आयुक्त डॉ. सुभाष शर्मा द्वारा पारित आदेश

05.02.18 **बिहार सरकार (प्रशासी विभाग : पथ निर्माण विभाग) की तरफ से**

(i) प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी : श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अपर नगर आयुक्त (स्था.), पटना नगर निगम, पटना, अनुपस्थित।

(ii) प्रशासी विभाग/प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी द्वारा पिछली तिथि के बाद से अद्यतन प्रस्तुत कागजात : शून्य।

बचाव पक्ष की तरफ से

(iii) सरकारी सेवक : श्री अरविन्द प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम, संप्रति–निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना, उपस्थित।

(iv) बचाव पक्ष द्वारा पिछली तिथि के बाद से अद्यतन प्रस्तुत कागजात : शून्य।

आरोपित पदाधिकारी उपस्थित। प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी अनुपस्थित। अन्य मामलों में भी उक्त प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी अनुपस्थित हैं। अतः प्रशासी विभाग के प्रधान सचिव को लिखें कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी अगली तिथि 22.02.18 को 12.30 बजे अवश्य उपस्थित हों, अंतिम सुनवाई हेतु।

ह./–(डॉ. सुभाष शर्मा)
05.02.18

विभागीय जांच आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना

ज्ञापांक : वि.का.सं. : 40/13 : 122 : सी.डी.ई. दिनांक : 05 फरवरी, 2018

प्रतिलिपि :
1. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना,
2. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना,
3. श्री अखिलेश्वर प्रसाद सिंह, अपर नगर आयुक्त (स्थापना), पटना नगर निगम, पटना एवं
4. श्री अरविंद प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, पटना नगर निगम, संप्रति–निलंबित अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(बसंत राम)
प्रधान आप्त सचिव

RCD - Arvind Prd.